

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/रामावि/21306/2020-21

दिनांक : 12/04/2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय)-माध्यमिक।

विषय: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के जारी आदेशों के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में समय-समय पर जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जिन शर्तों के अधीन जारी की गई है, उनमें वर्णित निम्न शर्तों की अक्षरशः पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे :-

शर्त:-

1. राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III को क्रमोन्नत रामावि में शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
2. क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत रामावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
3. शेष शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3 बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6 डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की मांति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।


  
(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, ।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
7. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर